

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY (PART-I (SECTION-1))

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Foreign Trade

Public Notice No. 14/2025-26

New Delhi, Dated 8th July, 2025

Subject: Fixation of new Standard Input Output Norms (SIONs) at SION (A-3687, A-3688 and A-3689 under 'Chemical and Allied Product' (Product Code 'A').

In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy-2023 as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the three new SIONs with Serial Number A-3687, A-3688 & A-3689. These new entries shall be as under:

SION No.	Export product	Qty.	Sl. No.	Import Item	Qty. allowed
A-3687	Azithromycin Dihydrate	1 kg.	1	Azithromycin Amine	0.9434 kg.

SION No.	Export product	Qty.	Sl. No.	Import Item	Qty. allowed
A-3688	Aldehyde C10 (Capric Aldehyde)	1 kg.	1	Fatty Alcohol C10 (98% purity)	1.40 kg.

SION No.	Export product	Qty.	Sl. No.	Import Item	Qty. allowed
A-3689	Ceftazidime Powder for formulation of solution for Intramuscular and Intravenous administration 1000 mg.	1 Number	1	Ceftazidime for Injection Bulk Sterile	1280 mg.

Effect of the Public Notice: Three new SIONs for export products under Chemical & Allied Product Group are being notified.


(Ajay Bhadoo)
Director General of Foreign Trade
Ex-officio Addl. Secretary to the Government of India
e-mail: dgft@nic.in

(Issued from File No. 01/82/0008/AM-26/DES-III)

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 14/2025-26

नई दिल्ली, दिनांक: 8 जुलाई, 2025

विषय: 'रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद' (उत्पाद कोड 'ए') के अंतर्गत सिओन (ए-3687, ए-3688 और ए-3689) में नए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) का निर्धारण।

समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा क्रम संख्या ए-3687, ए-3688 और ए-3689 के साथ तीन नए सिओन को अधिसूचित करते हैं। यह नई प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होंगी:

सिओन सं.	निर्यात उत्पाद	मात्रा	क्रम सं.	आयात मद	अनुमत मात्रा
ए-3687	एज़िथ्रोमाइसिन डाइहाइड्रेट	1 किलोग्राम	1	एज़िथ्रोमाइसिन अमाइन	0.9434 किलोग्राम

सिओन सं.	निर्यात उत्पाद	मात्रा	क्रम सं.	आयात मद	अनुमत मात्रा
ए-3688	एलिहाइड सी10 (कैप्रिक एलिहाइड)	1 किलोग्राम	1	फैटी अल्कोहल सी10 (98% शुद्धता)	1.40 किलोग्राम

सिओन सं.	निर्यात उत्पाद	मात्रा	क्रम सं.	आयात मद	अनुमत मात्रा
ए-3689	इंट्रामस्क्युलर और इंटरविनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सॉल्यूशन के फॉर्म्यूलेशन हेतु सेप्टाजिडाइम पाउडर 1000 मिलीग्राम।	1 संख्या	1	इंजेक्शन बल्क स्टेराइल के लिए सेप्टाजिडाइम	1280 मिलीग्राम

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद समूह के अंतर्गत निर्यात उत्पादों के लिए तीन नए सिओन अधिसूचित किए जा रहे हैं।

(अजय भाट्ट)

महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/82/0008/एम-26/डीईएस-III से जारी)